कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1733 /11सी–हरदोई/20978, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 17 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : जनपद हरदोई में कुण्डीला–बालामऊ मार्ग एस0एच0–25 किमी0 202–203 के मध्य बांयी पटरी पर **ग्राम–रेसो** के खसरा संख्या–184 में एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06677 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/06/33/2016/एफ0सी0/457, दि0 02.01.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–280/14–2–2016–800(172)/2016, दिनांक 12.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित त्रुटियों के निराकरण हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक–4486/14–10–4, दिनांक 15.02.2017 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की दो प्रतियॉ सी.डी. सहित।

भवदीय,
17/2/17
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, 315, 316 साइबर हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।